प्ररूप 21 ग (नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सिवरोध हो) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा। राजस्थान (राज्य) के 7-जयपुर संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपवंधो के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि –

श्रीमती मंजू शर्मा 503 गणगौरी बाजार, जयपुर व फ्लैट न. 107 युनिक सांघी अपार्टमेंट, महावीर नगर, जयपुर 302018 जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े की गई हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिये सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान - जयपुर तारीख- 04/06/2024

(प्रकाश राजपुरोहित)
रिटर्निंग अधिकारी
7- जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
एवं जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर
(प्रकाश राजपुरोहित)
रिटर्निंग अधिकारी
7-जयपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
एवं जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जयपुर

Form 21 C (See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the House of the People from the 7-Jaipur Parliamentary Constituency in the Rajasthan (State).

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that –

Smt Manju Sharma 503 Gangori Bazar, Jaipur & Flat No. 107 Unique Sanghi Appartment, Mahaveer Nagar, Jaipur 302018 sponsored by Bharatiya Janata Party has been duly elected to fill the seat in that House from the

above constituency.

Place- Jaipur

Date-04/06/2024

For

(PRAKASH RAJPUROHIT)

RETURNING OFFICER,

7-JAIPUR PARLIAMENTARY CONSTITUENCY
& DISTRICT COLLECTOR & DISTRICT MAGISTRATE

JAIPUR

(Prakash Rajpurohit)
Returning Officer
7-Jaipur Parliamentary Constituency Jaipur & District Collector & District Magistrate
JAIPUR